न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

R-1652-III/13

1— श्री भक्तदर्शन उम्र 44 साल, | दोनो के पिता रामेश्वर प्रसाद
2— श्री राजकमल, उम्र 40 साल | दोनो का पेशा खेती व व्यापार
निवासी ग्राम चाकघाट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

——निगरानीकर्ता

बनाम

1— श्री रामप्रसाद तनय बद्रीराम, उम्र 74 वर्ष, पेशा खेती
2— श्री रामप्रपंच तनय हरिमंगल, उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती
3— श्री श्रीनिवास तनय हरिमंगल, उम्र 42 वर्ष, पेशा खेती
4— श्रीमती इन्द्रकली विधवा हरिमंगल, उम्र 70 वर्ष, पेशा गृहकार्य
5— श्रीमती इन्द्रकलिया पुत्री बद्रीराम (मृत)—
5क— रमेश प्रसाद तिवारी तनय देवराज (मृत)—
5ख— श्री मिथलेश कुमार तनय रमेश प्रसाद, उम्र 50 वर्ष, पेशा नौकरी
5ग— श्री शिवदयाल तिवारी तनय रमेश प्रसाद, उम्र 37 वर्ष, पेशा खेती
5घ— अखिलेश कुमार तिवारी तनय रमेश प्रसाद, उम्र 25 वर्ष, पेशा खेती
निवासी ग्राम त्योंथर, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)
5ङ— श्रीमती ऊषा पति रमाकान्त पाण्डेय पुत्री रमेश प्रसाद, उम्र 38 वर्ष, पेशा गृहकार्य, निवासी अमिलिया पुरवा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)
5च— श्रीमती पुष्पान्जलि पुत्री रमेश प्रसाद, उम्र 28 वर्ष, पेशा गृहकार्य, निवासी ग्राम गोहटा, पोस्ट पटेहरा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)
6— श्री जननायक राम तनय लोकनाथ, उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती
7— श्री रामलखन तनय लोकनाथ, उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती
8— श्री रामकैलाश तनय रघुनाथ प्रसाद, उम्र 50 साल, पेशा खेती
9— श्री रामराज तनय रघुनाथ प्रसाद, उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती
10— श्री रमाकान्त तनय रघुनाथ प्रसाद, उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती
सभी निवासी ग्राम चाकघाट, तहसील त्योंथर, जिला रीवा (म0प्र0)

——गैरनिगरानीकर्तागण

Raj Kamal Shukla

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

- 112

2

प्रार्थन पत्र निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपर जिलाध्यक्ष महोदय रीवा दिनांक 25/03/2013 पारित निगरानी प्रकरण – 133/अ–27/08–09. परिवर्तित नम्बर– 292/निग0/पुर्न स्थापित/11–12 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

प्रार्थना पत्र निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय को दी गई अंर्तनिहित शक्ति के सम्बन्ध में विचार नही किया, जबकि आपत्ति यह की गई थी कि कोई वैधानिक प्रावधान निगरानी आवेदन में की गई भूल को सुधार करने का नही है । इस वैधानिक बिन्दु पर विचार करना अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था किन्तु इस वैधानिक बिन्दु पर विचार न करने में भूल की गई है ।

3– यह कि 1998 राजस्व निर्णय 391 विष्णू प्रसाद व अन्य विरूद्ध किशनलाल के प्रकरण में राजस्व ~~मण्डल~~ न्यायालय में अंर्तनिहित शक्ति के प्रयोग में निगरानी के प्रकरण में अंर्तनिहित साक्ष्य न्यायहित में ग्रहण करने के सिद्धान्त को मान्य किया है, इसी अनुसार भूल सुधार किया जाना न्यायहित में था व है, किन्तु आवेदन निरस्त करने में भूल की गई है ।

4 यह कि निगरानी के प्रकरण में अभी अंतिम तर्क होना शेष है, जिस समय अंतिम तर्क होगा उस समय अपने तर्क में अनावेदकगण की ओर से यह बिन्दु उठाया जा सकता है, कि निगरानीकर्तागण का अधिकार निगरानी के आवेदन में खसरा नम्बरी में नही है, इस कारण निगरानी का आवेदन प्रचलन योग्य नही है, क्योंकि निगरानीकर्तागण के पिता

R-1652-III/13 रीवा

4/8/16

आवेदक अभि० की ओर से श्री एम० के० श्रीवास्तव
उप०/ अना० अभि० की ओर से श्री के० के० त्रिवेदी उप०/
अना० 2 की ओर से श्री आनन्द सक्सेना उप०/
अना० 3,4,6, मे 10 तथा 5 5(क)
की ओर से श्री आई० पी० त्रिवेदी उप०/

2- आवेदक अभि० का तर्क है कि न्यायालय में संशोधन करने हेतु आवेदन पत्र दिया लेकिन अभी आदेश नहीं हुआ आवेदन लंबित किया गया है/

3. अतः मैंने उभय पक्षों का अवलोकन किया, प्रकरण अपर आयुक्त रीवा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण में संशोधन के आदेश करते हुये, प्रकरण का निराकरण करें/

सदस्य

4-8 [signature]

R.V. [signature] 4/8/16